न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 96/2019

अपीलांट

1. वालाराम पुत्र श्री वनाराम जी, जाति मेघवाल, उम्र 47 वर्ष, निवासी– गुडाश्यामा, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान।
2. मंगलाराम पुत्र श्री लादुराम जी, जाति सरगरा, निवासी 50 वर्ष, निवासी गुडाश्यामा, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

तहसीलदार सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री अशोक अरोडा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05/03/2020

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 12/2019 बउनवान वालाराम व अन्य बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा गुडा कलां तहसील सोजत के खसरा नंबर 319 रकबा 0.7100 हैक्टेयर बारानी दोयम में आवागमन हेतु खसरा नंबर 328 की जोत में से रास्ता प्रदान कराने निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट के पास अपनी भूमि पर आवागमन हेतु

कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 05.08. 2019 को एक मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 24.07.2019 प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार खसरा नंबर 319 में जाने हेतु खसरा नंबर 328 में से रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की गई थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर गौर किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश में अपीलांट के पास कच्चा मार्ग मानते हुए नया मार्ग देने से इंकार कर दिया जबकि अपीलांट ने जिस मार्ग की मांग की थी वह कच्चा मार्ग व रास्ता था, जिसे अपीलांट राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाकर विधि अनुसार प्राप्त करना चाहता था तथा उक्त रास्ता, कच्चा व संक्रा है, जिससे अपीलांट को जोत के लिये ट्रेक्टर के आवागमन में असुविधा होती है तथा यह मार्ग राजस्व ट्रेस नक्शे में तरमीम नहीं है। अपीलांट द्वारा 30 फीट चौडा रास्ता विधिवत रूप से प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की मौका फर्द दिनांक 24.07.2019 पर गौर किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो पर प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा गुडा कलां तहसील सोजत के खसरा नंबर 319 रकबा 0.7100 हैक्टेयर बारानी दोयम में आवागमन हेतु खसरा नंबर 328 की जोत में से रास्ता प्रदान कराने निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट के पास अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद अपीलांट उक्त तथ्य को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर मुमकिन मगरा में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। एवं धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुविधाजनक रास्ते का प्रावधान नहीं करती है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा गुडा कलां तहसील सोजत के खसरा नंबर 319 रकबा 0.7100 हैक्टेयर बारानी दोयम में आवागमन हेतु खसरा नंबर 328 की जोत में से रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रदान कराने निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी अपनी खातेदारी भूमि मौजा गुडा कलां तहसील सोजत के खसरा नंबर 319 रकबा 0.7100 हैक्टेयर बारानी दोयम में आवागमन हेतु खसरा नंबर 328 की जोत में से रास्ता प्रदान कराने निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सोजत सिटी से वादग्रस्त आराजी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 24.07.2019 के अन्तर्गत " प्रार्थी के खसरा नंबर 319 तक पहुंचने के लिए निकटतम एवं वर्तमान में चालू रास्ता जिसके खसरा नंबर 328 रकबा 27.1400 किस्म गै.मु. मगरा है" होने का अंकन है एवं खसरा नंबर 328 में से रास्ता दिये जाने की अनुशंषा भी की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलांटगण की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं दर्शाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट से परे जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सोजत सिटी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 24.07.2019 के अन्तर्गत " प्रार्थी के खसरा नंबर 319 तक पहुंचने के लिए निकटतम एवं वर्तमान में चालू रास्ता जिसके खसरा नंबर 328 रकबा 27.1400 किस्म गै.मु. मगरा है" होने का अंकन है एवं खसरा नंबर 328 में से रास्ता दिये जाने की अनुशंषा भी की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त रास्ते के अतिरिक्त अपीलांट की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु किसी अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं दर्शाया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलांट की खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजी में आवागमन हेतु खसरा नंबर 328 रकबा 27.1400 किस्म गै.मु. मगरा के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में उक्त प्रकरण धारा 251 ए के प्रावधानो की कसौटी पर पूर्णतया खरा उतरता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए धारा 251 ए के प्रावधानो का उल्लघंन करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 12/2019 बउनवान वालाराम व अन्य बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.09.2019 अपास्त किया जाता है। अपीलांटगण को अपनी खातेदारी भूमि मौजा गुडा कलां तहसील सोजत के खसरा नंबर 319 रकबा 0.7100 हैक्टेयर बारानी दोयम में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट दिनांक 05.08.2019 मय मौका फर्द दिनांक 24.07.2019 के अनुसार खसरा नंबर 328 रकबा 27.1400 हैक्टेयर किस्म गै.मु. मगरा में से रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सोजतसिटी को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए कानूनी कार्यवाही करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली